Volume: 5 Issue: 8 Pages: 20-21

अरावली का पर्यावरणीय संकट: एक संक्षिप्त विश्लेषण

[*1] डॉ. जगना राम सुडा

[*1] प्राचार्य, भूगोल, टैगोर ग्रामोत्थान महाविद्यालय, रतनपुरा (चूरू), राजस्थान, भारत।

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21846483

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (QJIF): 8.4
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 10/July/2026
Accepted: 04/Aug/2026

सारांश

अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है, जो उत्तर-पश्चिम भारत के पारिस्थितिक तंत्र के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। यह शोध पत्र अरावली क्षेत्र में गहराते पर्यावरणीय संकट का एक संक्षिप्त और मौलिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। पिछले कुछ दशकों में अनियंत्रित शहरीकरण, तीव्र वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर हुए अवैध खनन ने इस नाजुक पारिस्थितिकी को अपूरणीय क्षति पहुँचाई है। प्रस्तुत अध्ययन उपग्रह डेटा, हालिया न्यायिक निर्णयों और विभिन्न पर्यावरण समितियों की रिपोर्टों के आधार पर अरावली के क्षरण, मरुस्थलीकरण के बढ़ते खतरे, भूजल स्तर में गिरावट और स्थानीय जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की पड़ताल करता है। शोध में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यदि इस अनियंत्रित क्षरण को रोकने के लिए नीतिगत और तकनीकी स्तर पर कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो पूरे उत्तर भारत को एक गंभीर जलवायु और जल संकट का सामना करना पड़ेगा।

***Corresponding Author**
डॉ. जगना राम सुडा
प्राचार्य, भूगोल, टैगोर ग्रामोत्थान महाविद्यालय, रतनपुरा (चूरू), राजस्थान, भारत।

मुख्य शब्द: अरावली पर्वतमाला, पर्यावरणीय संकट, अवैध खनन, मरुस्थलीकरण, जैव विविधता, अरावली ग्रीन वॉल, पारिस्थितिक संतुलन।

प्रस्तावना:

अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत है। भौगोलिक दृष्टि से इसका लगभग 80% भाग राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक और पारिस्थितिक रूप से, अरावली केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि यह उत्तर भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाली एक धुरी है। यह थार मरुस्थल की धूल भरी आंधियों और मरुस्थलीकरण के पूर्व की ओर होने वाले विस्तार को रोकने के लिए एक प्राकृतिक दीवार का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र गंगा और सिंधु नदी घाटियों के बीच एक प्रमुख जल-विभाजक और अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन है। परंतु, समकालीन युग में आर्थिक लाभ और अनियोजित विकास की अंधी दौड़ ने इस प्राचीन धरोहर को 'पारिस्थितिकी संकट क्षेत्र' में बदल दिया है। पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई और जंगलों के सफाए के कारण अरावली की पारिस्थितिक निरंतरता टूट चुकी है, जो आने वाले समय में एक बड़े पर्यावरणीय विनाश का संकेत है। प्रस्तुत शोध पत्र इसी संकट के विभिन्न आयामों को रेखांकित करने का एक प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट (नवंबर 2025 का ऐतिहासिक निर्णय): द अरावली जजमेंट 2025 के तहत न्यायालय ने अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा को स्पष्ट करने और अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने यह माना कि संकीर्ण परिभाषाओं का लाभ उठाकर खनन माफियाओं ने इस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को भारी नुकसान पहुँचाया है।

5. संकट के प्रमुख आयाम एवं विश्लेषण क. अनियंत्रित एवं अवैध खनन

अरावली निर्माण सामग्री जैसे संगमरमर, बजरी, और ग्रेनाइट से समृद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रिमोट लोकेशंस पर आधुनिक तकनीकों (जैसे ब्लास्टिंग) से अवैध खनन जारी है। इससे न केवल पहाड़ियाँ समतल हो रही हैं, बल्कि वायु में पार्टिकुलेट मैटर का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है।

अरावली क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों (2000-2025) में आए बदलावों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे खनन और शहरीकरण के कारण भूमि का क्षरण बढ़ा है, ठीक उसी अनुपात में हरित आवरण में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

दिए गए सांख्यिकीय ग्राफ़ में इस चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाया गया है:

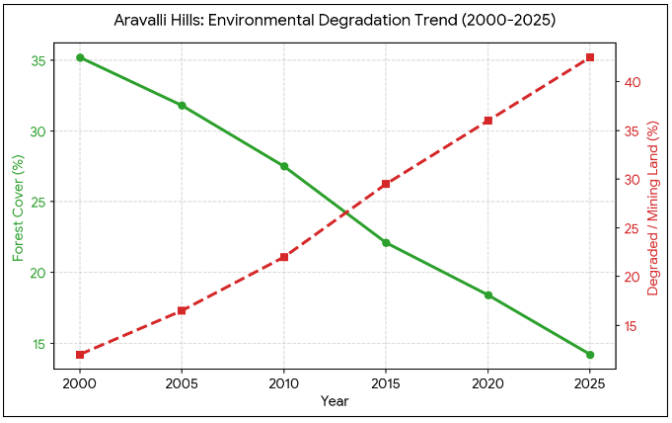

ग्राफ़ का मुख्य विश्लेषण

1. **हरित आवरण में गिरावट:** वर्ष 2000 में अरावली के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 35.2% हिस्सा घने या सामान्य वनों से आच्छादित था, जो वर्ष 2025 तक घटकर मात्र 14.2% रह गया है।
2. **खनन क्षेत्र का विस्तार:** इसके विपरीत, अवैध और वैध खनन गतिविधियों तथा बंजर भूमि का दायरा 12% से बढ़कर 42.5% हो गया है।
3. **पारिस्थितिक असंतुलन:** यह विपरीत संबंध यह सिद्ध करता है कि आर्थिक गतिविधियों के कारण पहाड़ों का भौतिक विनाश ही अरावली के पर्यावरणीय संकट का प्राथमिक कारण है।

व्यास एवं अन्य (2018) ने अपने भौगोलिक अध्ययन में रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करते हुए यह स्पष्ट किया था कि राजस्थान के कई जिलों में अरावली की दर्जनों पहाड़ियाँ अवैध खनन के कारण मानचित्र से पूरी तरह गायब हो चुकी हैं।

मरुस्थलीकरण का तीव्र विस्तार

अरावली के गायब होने का सबसे भयानक प्रभाव यह हो रहा है कि थार मरुस्थल की रेत अब आसानी से पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली-NCR के उपजाऊ मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही है। इसे पर्यावरण विज्ञान में 'मरुस्थलीकरण का पूर्ववर्ती मार्च' कहा जाता है। "भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली और हरियाणा से सटे अरावली क्षेत्रों में हरित आवरण में भारी कमी आई है, जिसने स्थानीय वन्यजीव गलियारों को खंडित कर दिया है।"

गंभीर जल संकट

अरावली की चट्टानें और वन क्षेत्र वर्षा जल को सोखकर भूजल स्तर को बनाए रखते हैं। पहाड़ों के नष्ट होने से वर्षा का पानी सतह पर बह जाता है (Run-off) और भूजल रिचार्ज नहीं हो पाता। परिणामस्वरूप, जयपुर, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में वाटर टेबल खतरनाक स्तर तक नीचे जा चुका है।

'सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: द अरावली जजमेंट 2025 के तहत न्यायालय ने अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा को स्पष्ट करने और अवैध खनन को रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए।" कोर्ट ने यह माना कि संकीर्ण परिभाषाओं का लाभ उठाकर खनन माफियाओं ने इस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को भारी नुकसान पहुँचाया है।

नीतिगत पहल

अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इस पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अफ्रीका की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य गुजरात से दिल्ली तक अरावली श्रृंखला के साथ बड़े पैमाने पर स्वदेशी प्रजातियों का वृक्षारोपण करना और नष्ट हो चुकी माइनिंग साइट्स का पुनरुद्धार करना है। "दि आईआरएम इंडिया (2026) की रिपोर्ट: अरावली में बढ़ते जोखिमों और इसके ग्लोबल सिस्टम तथा जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों के मूल्यांकन से पता चलता है कि अरावली के क्षरण से पूरे क्षेत्र का जलभृत रिचार्ज सिस्टम ठप हो रहा है।"

उपसंहार

अरावली का पर्यावरणीय संकट केवल राजस्थान या किसी एक राज्य की स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक व्यापक संकट है। 'विकास बनाम पर्यावरण' के द्वंद्व में अरावली ने अपनी प्राकृतिक पहचान खोई है। इस संकट के स्थायी समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने अनिवार्य हैं:

तकनीकी निगरानी: अवैध खनन को रोकने के लिए नाइट-विज़न ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी आधारित 'रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम' को अनिवार्य किया जाए।

पारिस्थितिक बहाली: खनन कंपनियों पर भारी 'इकोलॉजिकल टैक्स' लगाया जाए और उस राशि का उपयोग अरावली के खाली हो चुके हिस्सों में पुनर्वनीकरण के लिए किया जाए।

सामुदायिक सहभागिता: स्थानीय ग्रामीणों और आदिवासियों को वन मित्र के रूप में जोड़कर वृक्षारोपण अभियानों को जन-आंदोलन बनाया जाए।

संदर्भ ग्रंथ:

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC). (2025). अरावली पहाड़ियों के संरक्षण हेतु जारी वैज्ञानिक दिशा-निर्देश और परिभाषा रिपोर्ट. पत्र सूचना कार्यालय (PIB)
2. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया- स्वतः संज्ञान जनहित याचिका: इन रे: डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस. न्यायिक आदेश एवं विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें.
3. दि आईआरएम इंडिया ब्लॉग. (2026). अरावली एट रिस्क: हाउ ट्रॉपिकल लॉसेस थ्रेटन ग्लोबल सिस्टम्स. The IRM India.
4. भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI). (2024). स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट: उत्तर-पश्चिम भारत में हरित आवरण का स्थानिक विश्लेषण.
5. व्यास, आर. के., एवं शर्मा, पी. (2018). अरावली पर्वतीय क्षेत्र की पर्यावरणीय समस्याओं का भौगोलिक अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमेनिटीज एंड सोशल साइंस इन्वेंशन.